रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 336] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 2017/वैशाख 12, 1939
No. 336] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2017/ VAISAKHA 12, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2017

सा.का.नि.426(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में उप कमांडेंट (प्रधान निजी सचिव) तथा सहायक कमांडेंट (निजी सचिव) के पदों की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. -**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उप कमांडेंट (प्रधान निजी सचिव) तथा सहायक कमांडेंट (निजी सचिव) समूह 'क' पद भर्ती नियम (3) 2017 है।

(2) ये, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स का स्तर.**— पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स का स्तर वे होंगे, जो कि इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3 **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— पदों से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें वही होंगी जो कि अनुसूची के कॉलम (5) से कॉलम (13) में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **चिकित्सा स्वस्थता.**— इन नियमों के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा श्रेणी शेप-1 में हैं, वे इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के पात्र होंगे।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समाचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा अचयन पद हैं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप कमांडेंट (प्रधान निजी सचिव)	09* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय योद्धक	स्तर – 11 (रु. 67700-208700)	चयनित	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों हेतु अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विनिर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में भी लागू होंगी	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो	भर्ती की विधि पद्धति अथवा पदोन्नति द्वारा अर्थात् पदोन्नति द्वारा अर्थात् प्रतिनियुक्ति/ आमेलन तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत:-
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

पदोन्नति से भर्ती होने अर्थात् पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति, आमेलन की दशा में उन कैडर जिनकी यह पदोन्नति जो प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया गया है: -	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी क्या संरचना है।	भर्ती करने के लिए, किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परमर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (रु. 56100 - 177500) में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले सहायक कमांडेंट (निजी सचिव) परंतु उनकी चिकित्सा श्रेणी शेप-1 तथा उन्होंने महानिदेशक, केरिपुबल द्वारा समय-समय पर यथा निंधारित प्रोन्नति कोर्स/प्रशिक्षण पूरा किया हो। **टिप्पणी** – जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष 2. महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य 3. उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य 4. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक कमांडेंट (निजी सचिव)	51* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय योद्धक	स्तर – 10 (रु. 56100 - 177500)	चयनित	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	2 वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 के पूरा करने के अध्यधीन श्रेणी में ऐसे निरीक्षक (आशुलिपिक) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (रु. 44900 - 142400) में 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो और उनकी चिकित्सा श्रेणी शेप-1 हो तथा महानिदेशक, केरिपुबल द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया प्रोन्नति पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो। **टिप्पणी** – जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष 2. महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य 3. उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य 4. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि/परीवीक्षा अवधि पूर्ण करने के लिए) में निम्न होंगे:- 1. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष 2. महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य 3. उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य 4. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य	लागू नहीं होता

[सं. आर. IX-1/2017-मंत्रा.-डीए-3]

प्रशांत निकम, निदेशक (कार्मिक एवं वायु)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2017

G.S.R. 426 (E).—In exercise of the powers conferred by section 18 of Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Commandant (Principal Private Secretary) and Assistant Commandant (Private Secretary), Group "A" Post in the Central Reserve Police Force, in the Ministry of Home Affairs, namely :—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Deputy Commandant (Principal Private Secretary) and Assistant Commandant (Private Secretary), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. **Number of post, Classification and Level in the Pay Matrix.—**The number of the post, classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the post shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Medical Fitness.**—Notwithstanding any thing contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Casts, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Deputy Commandant (Principal Private Secretary)	09* (2017) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted, Ministerial Combatised	Level-11 (Rs. 67700-208700)	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a departmental promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union public service commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Assistant Commandant (Private Secretary) in Level-10 (Rs. 56100-177500/-) of the Pay Matrix with five years regular service in the grade subject to fulfillment of medical category SHAPE-I and should have undergone promotional course/training as prescribed by Director	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of :- 1. Director General or Additional Director General, Central Reserve Police Force - Chairman 2. Inspector General, Central Reserve Police Force - Member	Not applicable.

General Central Reserve Police Force from time to time. Note. : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors in the respective grade would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	3. Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force - Member 4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Commandant (Private Secretary)	51* (2017) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted, Ministerial Combatised	Level-10 (Rs. 56100-177500/-)	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion.

(11)	(12)	(13)
Inspector (Stenographer) in the level-7 (Rs. 44900-142400/-) of the Pay Matrix with three years regular service in the grade subject to fulfillment of medical category SHAPE-I and should have undergone promotional course/training as prescribed by Director General Central Reserve Police Force from time to time. Note. : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors in the respective grade would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of :-** 1. Director General or Additional Director General, Central Reserve Police Force -Chairman 2. Inspector General, Central Reserve Police Force - Member 3. Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force - Member 4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member **Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for confirmation/completion of probation period) consisting of :-** 1. Director General or Additional Director General, Central Reserve Police Force -Chairman 2. Inspector General, Central Reserve Police Force - Member 3. Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force - Member 4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member	Not applicable.

[No. R. IX.1/2017-Min-DA-3]
PRASHANT NIKAM, Director (Pers. & Air)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.05.05 19:12:05 +05'30'